प्रेस नोट दिनांक 12.07.2021

थाना बारादरी जनपद बरेली

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं श्री साद मिया खान, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के निर्देशन में थाना बारादरी पुलिस ने विगत में कथित रूप से मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के प्रति फेस बुक पर अभ्रद टिप्पणी करने एवं शारिक पुत्र शाबिर नि0 रोहलीटोला थाना बारादरी बरेली नामक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने तथा इसी क्रम में बाद में कथित रूप से उक्त शारिक नामक व्यक्ति के उपर गोली चलाने के संबंध में थाना बारादरी पर क्रमशः दिनांक 23.06.2021 एवं 28.06.2021 को पंजीकृत मु0अ0सं0 481/21 धारा 507 आईपीसी व 66 आईटीएक्ट तथा मु0अ0सं0 500/21 धारा 147,148,149,341,307,506 आईपीसी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए इनके पीछे की सच्चाई को उजागर किया गया तथा इनके षडयंत्र में शामिल अभि0गण को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री शारिक पुत्र शाबिर नि0 रोहलीटोला थाना बारादरी बरेली द्वारा दिनांक 23.06.2021 को लिखित तहरीर देकर फेसबुक आईडी पर मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के प्रति अभ्रद टिप्पणी आदि के स्क्रीन शॉट संलग्न करते हुए अवगत कराया कि वह भाजपा कार्यकर्ता है, कासिब सकलैनी नाम के व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी पर उक्त टिप्पणी की है तथा सिम नं0 7302331744 से उसे जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर थाना बारादरी पर उपरोक्त वर्णित मु0अ0सं0 481/21 पंजीकृत किया गया। इसके बाद उक्त शारिक नामक व्यक्ति द्वारा दिनांक 28.06.21 को कासिब सकलैनी एवं इसके भाई नदीम को नामजद करते हुए स्वयं के उपर जान से मारने की नीयत से फायर करने की घटना के संबंध में पंजीकृत कराया गया। इन दोनों मुकदमों में शारिक द्वारा कासिब सकलैनी नामक व्यक्ति को नामजद किया गया।

पुलिस द्वारा जब मामले की छानबीन की गयी तो पाया कि करीब 05 माह पूर्व कासिब सकलैनी नामक व्यक्ति की बहन श्रीमति सिम्मी पत्नी माजिद नि0 सूफी टोला थाना बारादरी द्वारा अपने नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड की घटना के संबंध में थाना बारादरी पर दिनांक 15.02.2021 को उक्त शारिक एवं इसके भाई आरिफ के विरूद्ध मु0अ0सं0 110/21 धारा 354,506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था, जिसमें शारिक की नामजदगी असत्य पायी गयी तथा इसका भाई आरिफ जेल गया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि शारिक द्वारा इस मामलें में कासिब सकलैनी पक्ष पर समझौते का दबाब बनाया जा रहा था किन्तु दूसरा पक्ष समझौते को तैयार नहीं था। इसी वजह से शारिक द्वारा उपरोक्त दोनों अभियोग दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिये लिखाये गये।

पुलिस द्वारा की गयी छानबीन में पाया गया कि शारिक द्वारा अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर षडयंत्र के तहत कासिब सकलैनी को फसानें के लिए यह मुकदमें लिखाये गये इनका बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

• शारिक ने अपने दोस्त अंकित शर्मा पुत्र चन्द्रप्रकाश शर्मा नि0 210 बुखारपुरा थाना बारादरी बरेली के साथ मिलकर अंकित शर्मा के पडोसी यशपाल शर्मा का फोन चुराया जिसका सिम नं0 7302331744 अपने पास रख लिया। इसी नम्बर से शारिक ने अपने दोस्त सैफ पुत्र मो0 असलम नि0 जगतपुर नई बस्ती थाना बारादरी बरेली के साथ मिलकर कासिब सकलैनी के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी तैयार की तथा इस आईडी से मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के विषय में अभ्रद टिप्पणी स्वयं के लिए प्रेषित की गयी। फिर इसी सिम नं0 से स्वयं के नम्बर पर खुद को धमकी दिलवायी गयी और जानबूझकर विभिन्न स्तरों पर इसके स्क्रीन शॉट वायरल किये गये और बाद में इसी आधार पर आईटीएक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

• यशपाल शर्मा के मोबाइल की चोरी के संबंध में थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 567/2021 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत है।

• शारिक ने अपने चाचा यासीन के साले बब्लू पुत्र पप्पू नि0 सकलैननगर चकमहमूद नबाव साहब की कोटी थाना बारादरी बरेली से दिनांक 11.06.21 व दिनांक 29.06.21 अपने मोबाइल नं0 9219105855 पर धमकी दिलवायी गयी तथा यह प्रचार प्रसार किया गया कि उसे मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है।

• दिनांक 27.06.21 की रात में शारिक द्वारा 112 नं0 पर फोन करके बताया गया कि बुखारशाह मियां मजार के पास उसे कासिब सकलैनी व इसके भाई नदीम आदि द्वारा गोली मारी गयी है। इस घटना में प्रकाश में आया कि शारिक द्वारा अपने दोस्त शहनवाज पुत्र साजिद अली नि0 बुखारपुरा थाना बारादरी बरेली को 5000 रूपये देकर गोली मारने की घटना का झूठा षडयंत्र रचा गया था। मैडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों से भी घटना झूठी पायी गयी।

• बाद में यह फर्जी फेसबुक आईडी शारिक ने अपने दोस्त अमन अंसारी पुत्र नसीम अंसारी नि0 जगतपुर थाना बारादरी बरेली द्वारा अपने फोन से डिलीट करायी गयी।

• स्वयं को धमकी दिलवाने के बाद चोरी किया गया सिम शारिक द्वारा तोड दिया गया।

<u>अपराध की कार्य प्रणाली :–</u> अभि0 शारिक द्वारा पुरांनी रंजिश के चलते फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर धमकी दिलाना व फर्जी गोली का निशान बनाकर झूठा घटनाक्रम तैयार कर झूठा अभियोग पंजीकृत करना।

<u>गिरफ्तारशुदा अभि0गण का नाम पता</u>

1. **शारिक पुत्र शाबिर नि0 रोहलीटोला थाना बारादरी बरेली (षडयंत्रकर्ता एवं सम्पूर्ण घटनाओं का सूत्रधार)**
2. **अंकित शर्मा पुत्र चन्द्रप्रकाश शर्मा नि0 210 बुखारपुरा थाना बारादरी बरेली (मोबाइल फोन चुराने वाला)**
3. **बब्लू पुत्र पप्पू नि0 सकलैननगर चकमहमूद नबाव साहब की कोटी थाना बारादरी बरेली (अपनी आवाज में धमकी देने वाला)**
4. **सैफ पुत्र मो0 असलम नि0 जगतपुर नई बस्ती थाना बारादरी बरेली (आईडी बनाने में सहायक)**
5. **अमन अंसारी पुत्र नसीम अंसारी नि0 जगतपुर थाना बारादरी बरेली (फर्जी आईडी डिलीट करने वाला)**
6. **शहनवाज पुत्र साजिद अली नि0 बुखारपुरा थाना बारादरी बरेली (5000 रूपये लेकर फर्जी गोली कांड की घटना बनाने में सहायक)**

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1. एक अदद चोरी किया गया मोबाइल सैमसंग जे2
2. चोरी किया गया सिम नं0 7302331744
3. एक अदद मोबाइल आईटी एक्ट में फर्जी आईडी क्रिएट करने वाला ओपो 37 रंग काला
4. एक अदद मोबाइल आईटी एक्ट से संबधित ओपो 33 कंपनी रंग सफेद
5. एक अदद मोबाइल आईटी एक्ट से संबधित वीवो कंपनी रंग गोल्डन

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार
2. नि0 अपराध राजकुमार सिंह बारदरी बरेली
3. व0उ0नि0 आबिद अली
4. उ0नि0 अनिल कुमार
5. का0 2414 ललित कुमार
6. का0 995 अखिलेश कुमार
7. म0का0 1328 निशा